

[ॐथमबार राजंथान राज-पू, िवशेषांक, भाग 4 (क), ढद. 11-4-85 मथंकािशत]

अधसूचना

जयपुर, अंेल 11, 1985

संया प.2 (2) िविधायी। 85:-राजंथान राउय िवधान मण्डल का िनंठकत अधिनयम,
जिसे राउयपाल कऽ अनुमित ढदनांक 11 अंेल, 1985 ई. को ँांई, एतद् ँारा सवसाधारण
को सूचनाथंकािशत ढकया जाता है:-

राजंथान नहर (नाम ँितंथापन) अधिनयम, 1985

(अधिनयम संया 4 सन् 1985)

[राउयपाल कऽ अनुमित ढदनांक 11 अंेल, 1985 को ँांई]

िविधय, िनयम, आदश, दंतावेज आढद मथ नाम "राजंथान नहर" के ठथान पर
नाम "इडदरा गांधी नहर" ँितंथापित करने हेतु अधिनयम ।

भारत गणराउय के छुीसवथ वष मथ राजंथान राउय िवधान मण्डल िनिलिखत अधिनयम
बनाता है:-

1. संिर् नाम तथा ँारः:- (1) इस अधिनयम का नाम राजंथान नहर (नाम
ंितंथापन) अधिनयम, 1985 है ।

(2) यह 9 नवंबर, 1984 से ँवृथआ समझा जायेगा।

2. राजंथान नहर नाम का ँितंथापन:- अभ ि "राजंथान नहर", जहां एवं िजस
प मथभी ँयुई हो, के ठथान पर अभ ि "इडदरा गांधी नहर"-

(i) तंसमय ँवृथ समंत िविधय, िनयम, िविनयम, उप-िविधय, आदेश,

अधसूचना तथा शत के िवरण मथंितंथापित कऽ जायेगी; और

(ii) समंत िलिखत, करार, संविदा, अनुबध, सनद, पंा-िवलेख, समंत अउय

दंतावेज तथा लंिबत कायवाहिय मथ पढी जायेगी और उसका तदनुसार अथ
लगाया जायेगा ।

3. िनरसन तथा ावृिष्ठ्याँ :- (1) राजंथान नहर (नाम ँरितंथापन) अायादेश, 1984 (1984 का अायादेश सं. 11) इसके ँरारा िनरिसत ठकया जाता है ।

(2) ऐसे िनरसन के होने पर भी उा अायादेश के अधीन कऽ गई सभी बातः या कऽ गई कारकावाइयां इस अधिनयम के अधीन कऽ गई समझी जायःगी ।

(3) इस अधिनयम कऽ कोई बात राजंथान नहर से, उसके नाम के ँरितंथापन के कारण, सबमामल के सबध मःठकसी ि या ँराधिकारी ँरारा उपगत दायिव, ठकये गये कत , सृजित दायिव, ँदः हक, ँोभूत अधिकार, कऽ गई कारकावाइय, ठकये गये कृय, कऽ गई िनयुिय अथवा उद् ाहीत या वसूल ठकये गये कर या फऽस पर ँभाव नहः डालेगी ।

वःपराज भंसाली,
शासन सिचव।

